



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 286) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

5 नवम्बर 2019

सं० 1410— बक्सर जिलान्तर्गत छोटी संगत, डुमरांव, जिला— बक्सर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 27 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्र दिनांक— 27/11/2011 द्वारा महंत भीम दास को न्यास का अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था तथा प्रत्येक वर्ष आय—व्यय विवरणी एवं शुल्क दाखिल करने का निदेश दिया गया था। महंत भीम दास द्वारा दिनांक— 18/07/2014 को एक आवेदन देकर 10 (दस) सदस्यों के नामों का प्रस्ताव भेजते हुए न्यास समिति का गठन किये जाने का अनुरोध किया गया। महंत भीम दास द्वारा आय—व्यय विवरण, शुल्क वर्ष 2000 से 2011 तक जमा नहीं किया गया। अतः उनसे स्पष्टीकरण दाखिल करने एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिनांक— 29/07/15 को निर्गत किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी से स्वच्छ छवि के 11 व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी थी। पर्षद द्वारा दो अन्य निबंधित पत्रों के माध्यम से भी महंत भीम दास को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था परंतु वह उपस्थित नहीं हुए। इस बीच ग्रामीणों द्वारा आम सभा की बैठक दिनांक— 16/09/2017 में 7 व्यक्तियों की न्यास समिति गठन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में भी महंत भीम दास को पर्षद के पत्र दिनांक— 02/12/2017 द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा अधिनियम की धारा— 28 (2) के तहत अपना जबाब देने हेतु निर्देश दिया गया। पुनः पर्षदीय पत्रांक— 05, दिनांक— 03/04/18 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से 11 व्यक्तियों के नाम की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक— 1109/गो0, दिनांक— 26/12/2018 द्वारा उन्हीं नामों की सूची का प्रस्ताव भेजा, जो पूर्व में आम सभा की बैठक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पर्षदीय पत्रांक— 04, दिनांक— 03/04/18 द्वारा थाना से चरित्र—सत्यापन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। इसके अनुपालन में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, डुमरांव थाना, बक्सर अपने पत्र डी0आर02704/18, दिनांक— 31/12/18 द्वारा 7 सदस्यों का चरित्र—सत्यापन प्रेषित किया तथा लिखा कि इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। पूर्व महंत भीम दास को भी पर्षद द्वारा पर्याप्त सूचना दी गयी, परंतु न तो वे पर्षद के समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई तर्क उनके माध्यम से रखा गया। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित नाम जिनका चरित्र—सत्यापन संबंधित थाना से प्राप्त किया गया है, की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत "अध्यक्ष" को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **"छोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सर"** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"छोटी संगत न्यास योजना, डुमरांव, जिला- बक्सर"** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"छोटी संगत न्यास समिति, डुमरांव, जिला- बक्सर"** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. श्री विनोद कुमार केशरी पिता- भोलानाथ केशरी, ग्रा०+पो०+था०- डुमरांव, बक्सर | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री गुप्तेश्वर प्रसाद उर्फ गुरुजी पिता- स्व० गोपीनाथ स्वर्णकार, था०- डुमरांव, बक्सर | — | सचिव |
| 3. श्री कृष्ण मुरारी केशरी पिता- मोतीलाल केशरी, पो०+था०- डुमरांव, बक्सर | — | कोषाध्यक्ष |
| 4. डॉ० शैल बिहारी पाठक पिता- स्व० कमलेश्वर पाठक, पो०+था०- डुमरांव, बक्सर | — | सदस्य |
| 5. श्री उपेन्द्र प्रसाद पिता- रामचन्द्र प्रसाद पो०+था०- डुमरांव, बक्सर | — | सदस्य |
| 6. श्री ओम प्रकाश वर्मा पिता- स्व० राम विकास वर्मा पो०+था०- डुमरांव, बक्सर | — | सदस्य |
| 7. श्री मनोज कुमार वर्मा पिता- स्व० ब्रह्मेश्वर प्रसाद, पो०+था०- डुमरांव, बक्सर | — | सदस्य |

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा।

नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 286-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>